

1.	विभाग	पिछड़ा वर्ग कल्याण
2.	योजना का नाम	शादी अनुदान।
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी	इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू0 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू0 56460.00 निर्धारित है। शादी अनुदान हेतु रू0 20000.00 से अभ्यर्थी को लाभान्वित किया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत निराश्रित विधवाओं, अपंगों, भूमिहीन व देवी आपदा से ग्रस्त पुत्री की शादी हेतु अनुदान दिये जाने में शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है।
4.	पात्रता की अर्हता	<p>1—ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू0 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू0 56460.00 निर्धारित है।</p> <p>2—वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन तथा दिव्यांग जन पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण—पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।</p> <p>3—आवेदक की पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।</p> <p>4—आवेदक पिछड़ी (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) जाति से संबंध रखता हो।</p> <p>5—शादी का आवेदन उसी वित्तीय वर्ष में करना अनिवार्य है।</p>
5.	आवेदन की प्रक्रिया	आवेदन http://backwardwelfare.up.nic.in की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।
6.	लिंक वेबसाइट	http://backwardwelfare.up.nic.in
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अथवा उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है